न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर जिला अजमेर

रसद अपील सख्या 02/2015

श्री घीसालाल पुत्र श्री पोलू जाति जाट निवासी तसवारिया ग्राम पंचायत सलारी तहसील केकडी जिला अजमेर । ....अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी, अजमेर प्रथम। ....रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियगन) आदेश 1976

उपस्थितः– 1. श्री उत्तम गुरुवक्षानी अभिभाषक अपीलान्ट
1. श्रीमती रेणुका चतुर्वेदी प्रवर्तन अधिकारी पैरोकार सरकार

आदेश

दिनांक 09.11..2016

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी 15 वर्षो से उचित मूल्य दुकान ग्राम तसवारिया ग्राम पंचायत सलारी तहसील केकडी का संचालन कर रहा था। अपीलार्थी को जिला रसद अधिकारी ग्रामीण अजमेर द्वारा दिनांक 13.3.2014 को दुकान बन्द होने बाबत का कारण बताओं नोटिस जारी किया गया। दिनांक 6.8.2014 को अपीलकर्ता द्वारा नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया गया। जिला रसद अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 03.09.2014 से अपीलकर्ता को जारी प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया गया। इस आदेश से असन्तुष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पों. की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। तत्पश्चात पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। उपस्थित उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थी 15 वर्षो से उचित मूल्य दुकान ग्राम तसवारिया ग्राम पंचायत सलारी तहसील केकडी का संचालन कर रहा था। अपीलार्थी को जिला रसद अधिकारी ग्रामीण अजमेर द्वारा दिनांक 13.3.2014 को दुकान बन्द होने बाबत कारण बताओं नोटिस जारी किया गया जिसके साथ शिकायत एवं जांच अधिकारी की रिपोर्ट प्रेषित नहीं की गई। अपीलकर्ता द्वारा नोटिस में अंकित बिन्दुओ अनुसार दिनांक 6.8.2014 को नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया गया। अपीलान्ट के विरूद्ध प्रस्तुत शिकायत तथ्यहीन एवं फर्जी हस्ताक्षर द्वारा की गई, जो राजनैतिक द्वेषता के तहत की गई है। जिला रसद अधिकारी द्वारा पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर अपीलान्ट को साक्ष्य सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान किये बगैर, बिना किसी पुख्ता आधार के आक्षेपित आदेश पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरीत होने से अवैध, शून्य एवं प्रभावहीन होने से अपास्त करार दिया जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार करते हुए प्रश्नगत निर्णय दिनांक 3.09.2014 को अपास्त करते

09/11/16
जिला कलक्टर
अजमेर

(10) यह कि दिनांक 27–8–14 को अपीलकर्ता माननीय जिला रसद अधिकारी अजमेर द्वितीय राजकीय भ्रमण पर होना बताया गया एवं उस दिनांक को कोई भी आगामी तारीख पेशी की

हुए अपीलान्ट का उचित मूल्य दुकान का प्राधिकार पत्र बहाल किये जाने के आदेश न्यायहित में पारित फरमावे।

जवाब में पैरोकार सरकार ने निवेदन किया कि जिला रसद अधिकारी अजमेर शहर को अपीलान्ट के विरूद्ध राशन सामग्री वितरण में अनियमितताऍं किये जाने की प्राप्त शिकायत की जांच करवाई गई। वक्त निरीक्षण दिनांक 13.03.2014 को दुकान बन्द मिली। अपीलान्ट को तहसील कार्यालय केकडी में उपस्थित होकर रसद सम्बन्धी समस्त रेकार्ड प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किये जाने पर भी उनके द्वारा रेकार्ड उपलब्ध नहीं करवाया गया। शिकायत कर्ता श्री प्रहलाद चौधरी एवं उपभोक्ता जयसिंह शपथ पत्र प्रस्तुत कर बताया कि राशन डीलर घीसालाल राशन सामग्री का समय पर वितरण नहीं कर सीधे ही बाजार में बेच देता है। नायब तहसीलदार (प्रवर्तन निरीक्षक) कादेडा की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर नियमानुसार नोटिस जारी कर वास्ते जवाब सुनवाई का प्र्यात अवसर प्रदान कर आक्षेपित आदेश पारित किया गया है। अपीलाथी द्वारा राजस्थान खाद्य एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 6 एवं जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 8,10,11 का उल्लघन किये जाने से राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 8 व 9 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आक्षेपित आदेश से अप्रार्थी को जारी प्राधिकार पत्र सं0 1000/2006 को निरस्त कर जमा प्रतिभूति राशि 1000/– (एक हजार) जब्त सरकार की गई है। अतः अपीलाधीन आदेश पूर्णतया न्यायसंगत, विधि अनुरूप एवं अपीलान्ट द्वारा बरती गई अनियमितताओं के मध्यनजर होने से अपील अस्वीकार कर खारिज की जावे।

हमने पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा जानबूझ कर नायब तहसीलदार कादेडा (प्रवर्तन निरीक्षक) को जांच हेतु वांछित रेकार्ड उपलब्ध नहीं करवाया गया। उपभोक्ताओं की शिकायत पर प्रवर्तन निरीक्षक (नायब तहसीलदार कादेडा) से जॉच करवाये जाने पर पाई गई गंभीर अनियमितताओं को राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 6 एवं जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 8, 10, 11 का उल्लघन मानते हुए जिला रसद अधिकारी अजमेर द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 8 व 9 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को जवाब सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान कर गुणावगुण के आधार पर पारित आदेश में कोई कानूनी भूल किया जाना प्रकट नहीं होने से इसमें कोई हस्तक्षेप करना न्यायसंगत नहीं है। अतः ठोस आधार नहीं होने से अपील अस्वीकार कर खारिज की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.09.2014 यथावत रखा जाता है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 09.11.2016 को सरे इजलास सुनाया गया।

09/11/16

(गौरव गोयल)
जिला कलक्टर
अजमेर

न्यायालय जिला कलेक्टर अजमेर

Scanned by CamScanner